



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 07.11.2022

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 07.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस में सूचना पर गौकशी के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आसिफ पुत्र नेकी निवासी ग्राम बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से अवैध 21 ग्राम हेरोइन बरामद:-

दिनांक 06.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 21 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अफसर पुत्र नेकी निवासी ग्राम बराला कुकरहेड़ी थाना-कैराना जनपद-शामली

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 21 ग्राम हेरोइन।



थाना कैराना पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 07/11/2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर गैगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त आशु उर्फ आसमोहम्मद पुत्र मांगा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

आशु उर्फ आसमोहम्मद पुत्र मांगा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 अदद तमंचा बरामद ।

आज दिनांक 07.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारंटियो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान सूचना पर 01 अभियुक्त को 01 अदद तमंचा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मारुफ उर्फ बिल्लू साण्डा पुत्र मुकरीम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर।



पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना जीआरपी शामली एवं जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को आम्स एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2010 में थाना जीआरपी शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला पट्टी चौधरान गडरीयान थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मु0अ0सं0 42/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 07.11.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नौशाद उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. नौशाद पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला पट्टी चौधरान गडरीयान थाना बडौत जनपद बागपत।